न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार।
पीठासीन अधिकारीः प्रशान्त जोशी, एच.जे.एस

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 218/2025
सी.आई.एस. संख्या : 321/2025

कुंवर प्रणव सिंह पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह निवासी रंग महल लण्ढौरा थाना मंगलौर जिला हरिद्वार।

–अभियुक्त।

बनाम्

उत्तराखण्ड सरकार

––अभियोजन पक्ष।

मु0अ0सं0: 30/2025
फौजदारी वाद संख्या 1161/2025
धाराः 110, 61(2), 115(2), 190, 191(2), 191(3), 324(4),333, 351(3),352 बी.एन.एस. एवं धारा 30 आयुध अधिनियम
थानाः को0 रूड़की, जिला हरिद्वार।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्तागणः श्री राकेश कुमार सिंह, श्री गोपाल चतुर्वेदी एवं श्री आनन्द कुमार शुक्ला।
अभियोजन की ओर से श्री इन्द्रपाल बेदी, डी.जी.सी.(दाण्डिक) हरिद्वार।
वादी की ओर से अधिवक्ता श्री उत्तम सिंह चौहान।

दिनांकः 18–03–2025

यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त कुंवर प्रणव सिंह उपरोक्त की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत दिये जाने की प्रार्थना करते हुये द्वारा अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा जुबैर काजमी द्वारा दिनांक 26–01–2025 को तहरीर दी गयी कि आज दिनांक 26.01.2025 समय 03:30 बजे सायं वह तथा कुमारी सपना व अंकित कुमार व अन्य कई व्यक्ति उमेश कुमार विधायक के सरकारी आवास पर बैठे थे कि अचानक प्रणव सिंह व राव फुरमान व रियासत उर्फ भूरा व मुर्सलीन राणा व जाबिर , मांगेराम , कुलदीप आदि व अन्य 20–25 व्यक्ति अपने हाथों में रायफल ,बंदूक ,देशी कट्टे ,सरिये व डन्डे लेकर मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां देकर यह कहते हुये कि आज उमेश कुमार विधायक की हत्या करेंगें। उमेश कुमार को जान से मारने की नीयत से उनके सरकारी आवास में घुस आये और इन लोगों ने एक राय होकर उपरोक्त सपना व अंकित कुमार को मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां व थप्पड़ मुक्कों से मारना शुरू कर दिया और कहा कि तुम लोग उमेश कुमार के बडे समर्थक बनते हो, आज तुम्हें जान से मार देंगे। मौके पर उपस्थित राव इमरान, राव उमर ने इन्हें मना किया तो इन लोगों के साथ प्रणव सिंह आदि ने गाली गलौच व मारपीट करना शुरू कर दिया तथा इमरान आदि को जान से मारने की नियत से

उपरोक्त प्रणव आदि ने अपने हाथों में लिये हथियारों से इमरान आदि के उपर कई राउण्ड फायर किये, जिससे राव इमरान आदि दीवार की आड़ लेकर बाल बाल बच गये और ये फायर आवास की खिड़की, दरवाजों , दीवारों पर लगे, जिससे सरकारी आवास भी क्षतिग्रस्त हो गया। इमरान आदि को काफी गम्भीर चोटे आयी । रिपोर्टर के अनुसार ये लोग आईन्दा मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी देते हुये गये कि उमेश कुमार विधायक को कह देना कि आज तो वह हमें नहीं मिला, उसे ये मौका मिलते ही जान से खत्म कर देंगे। सारी घटना सी0सी0टी0वी0 कैमरे में रिकार्ड हो गयी तथा आस पास भी अराजकता का महौल बना हुआ है।

3. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जमानत के समर्थन में तर्क किया कि वर्तमान अभियोग साजिशन और झूठा है जो अभियुक्त द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29/2025 बनाम विधायक उमेश कुमार के काउन्टर ब्लास्ट के रूप में दर्ज कराया गया है जबकि उक्त अभियुक्त विधायक उमेश की जमानत सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में ही स्वीकार की जा चुकी है। कथन किया गया कि कथित घटना में किसी को भी फायर–आर्म की चोट अथवा प्राणघातक चोटें नहीं आयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट बढ़ा–चढ़ाकर गम्भीर धाराओं में दर्ज करायी गयी है। बचाव पक्ष अनुसार अचानक प्रकोपन पर स्वयं की प्राणरक्षा हेतु गोलियां चलायी गयी। वादी पक्ष द्वारा अभियुक्त व उसके साथियों पर छत से पत्थर बरसाये गये, जिस कारण हवाई फायरिंग स्वयं की सुरक्षा हेतु की गयी, जिससे कोई उपहति कारित नहीं हुई। तथापि राजनैतिक द्वैष व प्रतिद्वन्दिता के कारण आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है जबकि सी.सी.टी.वी. फुटेज/वॉयस रिकार्डिगं आदि में किसी के चोटिल होना अवलोकित नहीं है। विवेचना पूर्ण होने उपरान्त आरोप–पत्र न्यायालय प्राप्त है और अभियुक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के दृष्टान्त सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी.बी.आई. में पारित विधि व्यवस्था का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। यह भी तर्क किया गया कि अभियुक्त लाईसैंस शस्त्रधारी है, जिसका उसने कोई दुरूपयोग नहीं किया है और वह पूर्व में कई बार विधायक रह चुका है तथा समाज का सम्मानित व्यक्ति है। यह भी तर्क किया गया कि वर्तमान में अभियुक्त गम्भीर रूप से बीमार स्थिति में अस्पताल में भर्ती है और पूर्व में भी राजनैतिक प्रतिद्धन्दिता के कारण उसके विरूद्ध तुच्छ मुकदमें कायम किये जाते रहे हैं परन्तु वह सजायाफ्ता नहीं है। कथन किया गया कि अभियुक्त दिनांक 27–01–2025 से कारागार में निरूद्ध है, आरोप–पत्र न्यायालय प्राप्त है, अभियुक्त तदनुसार जमानत प्राप्ति का हकदार है।

4. बचाव पक्ष ने अपने जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का दृष्टान्त जावेद गुलाम नबी शेख बनाम राज्य महाराष्ट्र (एस.एल.पी. (दाण्डिक) संख्या 3809/204) दाण्डिक अपील संख्या 2787/2024 निर्णीत दिनांकित 03–07–2024, प्रेमप्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (एस.एल.पी. (दाण्डिक) संख्या 5416/2024) निर्णीत दिनांकित 28–08–2024, यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम के.ए.

नाजीब 2021 एस.सी.712 तथा माननीय उच्च न्यायालय के दृष्टान्त सर्वजीत सिंह बनाम राज्य उत्तरप्रदेश जमानत संख्या 41474/2024 निर्णीत दिनांकित 24–01–2025 दाखिल किये गये हैं।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र के विरोध में तर्क किया गया कि अभियुक्त पूर्व में जन–प्रतिनिधि रहा है और उसके द्वारा दिनदहाड़े वर्तमान विधायक के आवास में अपने साथियों के साथ जाकर गोली बारी करना उसकी आपराधिक मानसिकता का स्वयं प्रमाण है। अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क किया कि अभियुक्त द्व ारा घटना के विडियो को स्वयं वाईरल कर समाज में दहशतगर्दी प्रदर्शित की है जो जाहिर करता है कि उसे कानून का कोई भय नहीं है। यह भी तर्क किया कि एक अतिचारी को आत्म–रक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में दर्ज मुकदमों और उसके गम्भीर आपराधिक आचरण के दृष्टिगत अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने पर पुरजोर बल दिया गया।

6– मैनें उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना व अभिलेख का परिशीलन किया।

7– इस आपराधिक वारदात में यह निर्विवादित है कि अभियुक्त कुंवर प्रणव सिंह को धारा 109, 115(2), 190, 191(2), 191(3), 324(4), 351(3), 352 बी.एन.एस. एवं धारा 30 शस्त्र अधिनियम के आरोप में दिनांक 27–01–2025 को गिरफ्तार किया गया था। तदोपरान्त विवेचना के बाद धारा 109 बी.एन.एस. का लोप कर धारा 110, 61(2) की वृद्वि कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र दिनांक 20–02–2025 को न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है। जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्राप्त पुलिस आख्या अनुसार आरोपी कुंवर प्रणव सिंह ने अपने साथियों के साथ अपनी लाईसैंसी शस्त्र का दुरूपयोग कर घटना के दिन विधायक उमेश कुमार के कैम्प कार्यालय में अचानक प्रकोपन में आकर गोली बारी की। यहां पर यह स्वीकार्य तथ्य है कि अभियुक्त पक्ष की ओर से वादी पक्ष/विधायक उमेश कुमार के विरूद्ध वर्तमान प्रकरण से एक दिन पूर्व घर में घुसकर गाली गलौच व मारपीट करने के सम्बन्ध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्व में दर्ज करायी गयी थी। तथापि निश्चित रूप से कानून के राज में कानून अपने हाथ में लेना किसी को भी अनुमतः नहीं है और हर व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह कानून की अनुपालना करे। दिनदहाड़े एक विधायक के घर में जाकर गोली बारी करना, गाली गलौच देना व मारपीट करना एक गम्भीर मामला है परन्तु उक्त घटना की सत्यता पर विचार दौरान विचारण ही सम्भव है। आज के दिन अभियुक्त की प्रास्थिति मात्र एक आरोपी की है जिसके विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय प्राप्त हो गया है और अब कोई विवेचना अवशेष नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र के विरोध पर अधिकतः साक्ष्य आधारित तर्को पर बल दिया है परन्तु उन पर दौराने विचारण ही विचार किया जाना सम्भव है। इस स्तर पर जब जमानत प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जा रहा

हो, तब अन्यथा भी साक्ष्य की गहन विवेचना कर कोई निष्कर्ष देना न तो सम्भव है और न ही विधि–सम्मत है। वर्तमान अभियुक्त के पूर्व सजायाफ्ता होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है। वादी पक्ष का तर्क है कि अभियुक्त का पूर्व मे आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व मे जन प्रतिनिधि होने के कारण अभियुक्त द्वारा साक्ष्य को प्रभावित करने की सम्भावना भी प्रबल है। इस क्रम में इस न्यायालय का मत है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित दृष्टान्त बीनी उर्फ वाउद्दीन व अन्य बनाम राज्य उत्तरप्रदेश 2014(1) ए ए आर 548 मे अवधारित विधि व्यवस्था अनुसार जमानत प्रार्थना–पत्र को कदापि मात्र आपराधिक इतिहास के आधार पर खारिज नही किया जा सकता है। जमानत का उददेश्य तो दौरान विचारण अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना होता है। मेरा यह मत माननीय उच्चतम न्यायालय के दृष्टान्त गुरबक्श सिंह सिब्बा बनाम राज्य पंजाब 1980(2) एस सी सी से पुष्ट है। गवाहों को प्रभावित करने से रोकने व अभियुक्त की विचारण मे उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश में शर्तें तत्क्रम मे लगायी जा सकती है।

8. अभियुक्त के वर्तमान में अस्वस्थ होने, अस्पताल मे भर्ती होने का खण्डन अभियोजन पक्ष द्वारा नही किया गया है। आक्षेपित गोलीबारी से किसी के हताहत होने का कोई प्रमाण नही है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय प्राप्त है और कोई विवेचना शेष नही है। अभियुक्त दिनांक 27–01–2025 से कारागार मे निरूद्ध है। इस क्रम में यह व्यक्त करना समीचीन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दृष्टान्त सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी बी आई एवं अन्य 2022 (10) एस सी सी 51 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां अधिकतम दण्ड 7 वर्ष से अधिक नही है, वहां सामान्यत: जमानत प्रदान की जानी चाहिये, जब तक विशेष परिस्थितियां न हो। वर्तमान अभियोग के दृष्टिगत भी अभियुक्त उक्त दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। अतैव इस चरण पर मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी न करते हुये, मामले की गम्भीरता, उपरोक्त परिचर्चा व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं, जिन्हें अभियुक्त ने अपने समर्थन मे पेश किया है, पर विचार करने एवं समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह न्यायालय अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाती है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त कुंवर प्रणव सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को इस मामले में अंकन 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय व सक्षम जमानती सम्बन्धित

Scanned with CamScanner

विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि पर प्रस्तुत करने पर ***निम्न शर्तों के अधीन*** दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाता है–